37

संख्या – /XXIV(6)/2014/40(4)12

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
उत्तरखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2014

विषयः मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन द्वितीय चरण के प्रतिकियात्यक कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के पत्रांकः यूओयू/वी0सी0/154 दिनांकः 10.1.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें कमांक–1 पर उल्लिखित प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के निमार्ण कार्यों हेतु प्रारम्भिक आंगणनों पर स्वीकृति तथा प्रतिक्रियात्मक कार्यों (डी0पी0आर0) हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन द्वितीय चरण के निर्माण कार्यो हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित अनुमानित लागत ₹ 339.95 लाख, प्रतिक्रियात्मक कार्य हेतु लागत ₹ 9.39 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत **धनराशि ₹ 6.26 लाख (₹छः लाख छब्बीस हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नांकित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) कुलपति, मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोग पूर्ण रूप से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कर लिया गया है। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी एवं दायित्व उत्पन्न होने पर ही चरणबद्ध रूप से कार्यदायी संस्था की आवश्यकतानुसार ही धनराशि अवमुक्त की जाये।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के बिल निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएगें, तत्पश्चात नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेंसी को उपलब्ध करायी जाएगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक धनराशि रोककर कार्य की लागत मे वृद्धि नहीं की जाएगी।

(iii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 2047/XIV-2219(2006) दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

.....2

(vi) यदि विभिन्न मदो हेतु स्वीकृति धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित की जाय।

(vii) कार्य प्रारम्भ कराने से **पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन** सुनिश्चित किया जाय।

(viii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जाती सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाये।

(ix) द्वितीय चरण के विस्तृत आंगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये कि "प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके है"।

(x) स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत् रखते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जाये। चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यों हेतु जब अन्तिम किश्त निर्गत की जाय तो उक्त अन्तिम किश्त निर्गत करने से पूर्व उक्त कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third Party Evaluation) करा लिया जाय, ताकि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

(xi) आंगणन दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट के स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य के आंगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, एवं किसी भी दशा मे अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(xii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(xiii) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्माण सामग्री उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग किया जाय।

(xiv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाए एवं विशेष रूप से किए जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आंगणन में की जाए। कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तदायी मानी जाएगी।

4– व्यय उन्हीं कार्यो/योजनाओं मदों पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों में वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित् अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

5– व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एस एण्डडी की दर संबंधी शासनादेशों का पूर्ण पालन किया जाना होगा।

.....3

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय, भौतिक विवरण आदि की सूचना प्रशासकीय विभाग के साथ ही नियोजन/वित्त विभाग को माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा कार्यो की सतत् मोनीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

7– निमार्ण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)2007 दिनांक 15.12.2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रकरणाधीन कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांकः 551/XXVII(1)2010 दिनांकः 19.10.2010 के आलोक में द्वितीय चरण के प्राथमिक कार्यों के लिए समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 433(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांकः 31 मार्च 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से तथा www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत **विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0संख्या–H1403113878** (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–17–मुक्त विश्वविद्यालय–35–पूँजीगत् परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्याः 561/XXIV(6)/2014/40(4)12 दिनांकितः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
3. प्रमुख सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, हल्द्वानी।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव ।

G.O. Letter